रजिस्टर्ड दिनांक 23.03.2022 के द्वारा भंवराराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर को विक्रय कर दी। भंवराराम द्वारा वादगत खसरान की 0.5058 हैक्टेयर खरीद करने के बाद भंवराराम पुत्र शिवकरण जाति जाट के नाम से नामान्तरण 1278 दिनांक 11.04.2022 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 मंजू देवी वादगत खेत की खातेदार नहीं है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में राजस्व रिकार्ड के विपरीत तथ्य अंकित किये हैं। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अपना 0.2816 हैक्टेयर यानि कुल 0.5058 हैक्टेयर हिस्सा विक्रय करने के बाद उक्त हिस्सा की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का क़ब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व भंवराराम पुत्र शिवकरण का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 का मौका पर कोई कब्जा नहीं हैं। प्रार्थी ने भंवराराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी बाडेला को पक्षकार संयोजित नहीं किया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पक्षकारों के असंयोजन व कुसंयोजन से ग्रस्ति है, प्रार्थी उक्त प्रार्थना–पत्र में के माध्यम से विभाजन का अनुतोष प्राप्त करने में कानूनन सक्षम नहीं है। एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने वादगत खेत खसरा नम्बर 332 तादादी 3.600 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 333 तादादी 0.6500 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 334 तादादी 3.600 हैक्टेयर रोही मौजा बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में अप्रार्थी संख्या 3 ने अपना 1/35 हिस्सा में से 0.2816 हैक्टेयर हिस्सा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.02.2022 को व शुद्धिपत्र रजिस्टर्ड दिनांक 23.03.2022 के द्वारा भंवराराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर को विक्रय कर दी। भंवराराम द्वारा वादगत खसरान की 0.5058 हैक्टेयर खरीद करने के बाद भंवराराम पुत्र शिवकरण जाति जाट के नाम से नामान्तरण 1278 दिनांक 11.04.2022 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा 0.5058 हैक्टेयर हिस्सा दिनांक 21.02.2022 को विक्रय कर दिया। वादगत खेत के खातेदार भंवराराम को पक्षकार संयोजित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने में कानूनन सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त, अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.07.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायर रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 18:02:51 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)